



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-21032026-271112
CG-UP-E-21032026-271112

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1379]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1379]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (ब्रिज लाइन यूनिट)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 10 मार्च, 2026

का.आ. 1444(ई)—केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवम रेलवे (सशोधन) अधिनियम (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, हरियाणा राज्य के पलवल जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में मथुरा – पलवल सेक्शन में कि०मी० 1447/0-2 पर समपार संख्या 551 के स्थान पर 02-लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण" के बाबत ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) होडल, पलवल, हरियाणा को लिखित में किया जा सकेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी

और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी जो आवश्यक समझे आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ (3) के अनुसार धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले भूमि का रेखांकन और अन्य व्योरे सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय में उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

“उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में मथुरा – पलवल सेक्शन में कि०मी० 1447/0-2 पर समपार संख्या 551 के स्थान पर 02-लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण” के बाबत आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	तालुका/ तहसील का नाम	परगना	गाँव का नाम	खसरा सं०	अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि	भूमि की प्रकृति
1	होडल	होडल	करवन	42 // 17 / 1 / 1 (मिन उत्तर) 0.1265 हेक्टेयर	0.0430 हेक्टेयर	गैर कृषि
2	होडल	होडल	करवन	42 // 17 / 1 / 2 (मिन उत्तर) 0.0683 हेक्टेयर	0.0329 हेक्टेयर	गैर कृषि
3	होडल	होडल	करवन	41 // 9 (मिन उत्तर) 0.4477 हेक्टेयर	0.0784 हेक्टेयर	कृषि
				41 // 10 / 2 (मिन उत्तर) 0.1189 हेक्टेयर	0.0658 हेक्टेयर	कृषि
				41 // 11 (मिन उत्तर) 0.3794 हेक्टेयर	0.0253 हेक्टेयर	कृषि
4	होडल	होडल	करवन	42 // 15 / 2 (मिन उत्तर) 0.1745 हेक्टेयर	0.0810 हेक्टेयर	कृषि
5	होडल	होडल	करवन	42 // 16 (मिन उत्तर) 0.4047 हेक्टेयर	0.0127 हेक्टेयर	कृषि
6	होडल	होडल	करवन	41 // 2 / 2 (मिन दक्षिण) 0.1214 हेक्टेयर	0.0203 हेक्टेयर	बंजर
7	होडल	होडल	करवन	231 (मिन उत्तर) 0.0177 हेक्टेयर	0.0038 हेक्टेयर	गैर कृषि (रास्ता)
				234 (मिन उत्तर) 0.0101 हेक्टेयर	0.0026 हेक्टेयर	गैर कृषि (रास्ता)
				102 / 1 (मिन) 0.3389 हेक्टेयर	0.3389 हेक्टेयर	गैर कृषि (रास्ता)
				103 (मिन) 0.3035 हेक्टेयर	0.0987 हेक्टेयर	गैर कृषि (रास्ता)

8	होडल	होडल	करवन	32 / / 16 (मिन दरम्यान) 0.3035 हेक्टेयर	0.1645 हेक्टेयर	बंजर
				32 / / 17 (मिन दरम्यान) 0.4047 हेक्टेयर	0.0759 हेक्टेयर	बंजर
				32 / / 23 (मिन दक्षिण) 0.2580 हेक्टेयर	0.0405 हेक्टेयर	बंजर
				32 / / 24 / 1 (मिन दक्षिण) 0.1088 हेक्टेयर	0.0886 हेक्टेयर	बंजर
				32 / / 24 / 2 (मिन उत्तर) 0.2428 हेक्टेयर	0.0102 हेक्टेयर	बंजर
				33 / / 11 (मिन दक्षिण) 0.2302 हेक्टेयर	0.0785 हेक्टेयर	बंजर
				41 / / 3 (मिन उत्तर) 0.2049 हेक्टेयर	0.0203 हेक्टेयर	बंजर
9	होडल	होडल	करवन	32 / / 15 (मिन पूर्व दक्षिण) 0.4047 हेक्टेयर	0.0279 हेक्टेयर	कृषि
10	होडल	होडल	करवन	33 / / 26 (मिन दक्षिण) 0.0051 हेक्टेयर	0.0051 हेक्टेयर	गैर कृषि (गड्डा खाद)
11	होडल	होडल	करवन	33 / / 27 (मिन दक्षिण) 0.0051 हेक्टेयर	0.0051 हेक्टेयर	गैर कृषि (गड्डा खाद)
12	होडल	होडल	करवन	33 / / 28 (मिन दक्षिण) 0.0051 हेक्टेयर	0.0051 हेक्टेयर	गैर कृषि (गड्डा खाद)
13	होडल	होडल	करवन	33 / / 29 (मिन दक्षिण) 0.0051 हेक्टेयर	0.0051 हेक्टेयर	गैर कृषि (गड्डा खाद)
14	होडल	होडल	करवन	33 / / 30 (मिन दक्षिण) 0.0051 हेक्टेयर	0.0051 हेक्टेयर	गैर कृषि (गड्डा खाद)
15	होडल	होडल	करवन	33 / / 31 (मिन दक्षिण) 0.0051 हेक्टेयर	0.0051 हेक्टेयर	गैर कृषि (गड्डा खाद)
16	होडल	होडल	करवन	33 / / 32 (मिन दक्षिण) 0.0051 हेक्टेयर	0.0051 हेक्टेयर	गैर कृषि (गड्डा खाद)
योग (हेक्टेयर)					1.3455	

[ई फा.सं. NCR-HQ0ENGG(MISC)/11/2026-O/o Dy.CE/Br./L/AGC (Computer No: 168281)]

जे. सी. चौरसिया, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Bridge Line Unit)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 10th March, 2026

S.O. 1444(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of clause 20A of section 2 of the Railways Act 1989 (24 of 1989) and Railways Amendment act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule Annexed hereto is required for the purpose of execution of special Railway Project namely, “Construction of 02-lane road over bridge in lieu of level crossing No. 551 at km. 1447/0-2 in Mathura - Palwal section in Agra Division of North Central Railway” here by declares its intention to acquire such land ;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Sub - Divisional Officer (Civil) Hodal, Palwal, Haryana in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by competent Authority under Clause 20D (3) sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project namely “Construction of 02-lane road over bridge in lieu of level crossing No. 551 at km. 1447/0-2 in Mathura-Palwal Section in Agra Division of North Central Railway”.

S. No.	Name of Tehsil	Name of Pargana	Name of Village	Plot No	Proposed Land for Acquisition	Nature of Land
1	Hodal	Hodal	Karwan	42//17/1/1 (Min North) 0.1265 Hectare	0.0430 Hectare	Non Agriculture
2	Hodal	Hodal	Karwan	42//17/1/2 (Min North) 0.0683 Hectare	0.0329 Hectare	Non Agriculture
3	Hodal	Hodal	Karwan	41//9 (Min North) 0.4477 Hectare	0.0784 Hectare	Agriculture
				41//10/2 (Min North) 0.1189 Hectare	0.0658 Hectare	Agriculture
				41//11 (Min North) 0.3794 Hectare	0.0253 Hectare	Agriculture
4	Hodal	Hodal	Karwan	42//15/2 (Min North) 0.1745 Hectare	0.0810 Hectare	Agriculture
5	Hodal	Hodal	Karwan	42//16 (Min North) 0.4047 Hectare	0.0127 Hectare	Agriculture
6	Hodal	Hodal	Karwan	41//2/2 (Min South) 0.1214 Hectare	0.0203 Hectare	Barren

7	Hodal	Hodal	Karwan	231 (Min North) 0.0177 Hectare	0.0038 Hectare	Non Agriculture (Pathway)
				234 (Mi North) 0.0101 Hectare	0.0026 Hectare	Non Agriculture (Pathway)
				102/1 (Min) 0.3389 Hectare	0.3389 Hectare	Non Agriculture (Pathway)
				103 (Min) 0.3035 Hectare	0.0987 Hectare	Non Agriculture (Pathway)
8	Hodal	Hodal	Karwan	32//16 (Min in between) 0.3035 Hectare	0.1645 Hectare	Barren
				32//17 (Min in between) 0.4047 Hectare	0.0759 Hectare	Barren
				32//23 (Min South) 0.2580 Hectare	0.0405 Hectare	Barren
				32//24/1 (Min South) 0.1088 Hectare	0.0886 Hectare	Barren
				32//24/2 (Min North) 0.2428 Hectare	0.0102 Hectare	Barren
				33//11 (Min South) 0.2302 Hectare	0.0785 Hectare	Barren
				41//3 (Min North) 0.2049 Hectare	0.0203 Hectare	Barren
9	Hodal	Hodal	Karwan	32//15 (Min East South) 0.4047 Hectare	0.0279 Hectare	Agriculture
10	Hodal	Hodal	Karwan	33//26 (Min South) 0.0051 Hectare	0.0051 Hectare	Non Agriculture (Pit Compost)
11	Hodal	Hodal	Karwan	33//27 (Min South) 0.0051 Hectare	0.0051 Hectare	Non Agriculture (Pit Compost)
12	Hodal	Hodal	Karwan	33//28 (Min South) 0.0051 Hectare	0.0051 Hectare	Non Agriculture (Pit Compost)
13	Hodal	Hodal	Karwan	33//29 (Min South) 0.0051 Hectare	0.0051 Hectare	Non Agriculture (Pit Compost)
14	Hodal	Hodal	Karwan	33//30 (Min South) 0.0051 Hectare	0.0051 Hectare	Non Agriculture (Pit Compost)
15	Hodal	Hodal	Karwan	33//31 (Min South) 0.0051 Hectare	0.0051 Hectare	Non Agriculture (Pit Compost)
16	Hodal	Hodal	Karwan	33//32 (Min South) 0.0051 Hectare	0.0051 Hectare	Non Agriculture (Pit Compost)
Total (Hectare)					1.3455	

[e.F. No. NCR-HQ0ENGG(MISC)/11/2026-O/o Dy.CE/Br./L/AGC (Computer No: 168281)]

J. C. CHAURASIA, Principal Chief Engineer